"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2010—श्रावण 8, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्रमांक ई-7/36/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22-04-2010 द्वारा श्री सुब्रत साहू, भाप्रसे, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवक कल्याण, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 28-05-2010 से 05-06-2010 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्री साहू को दिनांक 06-06-2010 से 07-06-2010 तक (02 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. आदेश दिनांक 22-04-2010 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्रमांक ई 7-34/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-05-2010 द्वारा डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, भाप्रसे, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता एवं गृह विभाग को कैलाश मानसरोवर (चीन) प्रवास हेतु दिनांक 18-06-2010 से 07-07-2010 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्तादेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 18-06-2010 से 03-07-2010 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 04-07-2010 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी जाती है.

2. आदेश दिनांक 17-05-2010 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 01-31/स्था/31/2009.—छ. ग. जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 में अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियम-1968 में 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा अवधि निर्धारित की गई है.

2. राज्य शासन द्वारा लिए गये निर्णय अनुसार जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हकारी सेवा 05 वर्ष में 03 वर्ष की छूट प्रदान करते हुये, भर्ती नियम में अर्हकारी सेवा 02 वर्ष (कलेण्डर वर्ष 01-01-2010 से 31-12-2010 तक के लिए) की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमर अली, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्रमांक/ए-1-5/25-2/2003/आजावि.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में, अधिनियम की निम्नांकित धाराओं के तहत समक्ष में अंकित व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त करता है :

क्रमांक	वक्फ अधिनियम की धारा	नाम व्यक्ति जिसे नियुक्त किया जाता है
1.	धारा 14 (1) ग— विशिष्ट मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि	श्री अब्दुल रज्जाक, कोटा, रायपुर
2.	धारा 14 (1) घ — इस्लाम धर्म विद्या में मान्यता प्राप्त विद्वान	श्री मौलाना काजी शहाबुद्दीन, जामा मस्जिद, दुर्ग.

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई 2010 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2010

क्रमांक एफ 1-26/2009/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कृषि सेवाओं में चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती की पद्धति एवं विस्तार को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि सेवा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2010 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **प्रयोज्यता.**— ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य विषय अनुसूची के कॉलम (3) से (12) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे.

4. **आरक्षण.**—
   (1) **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण.**— सीधी भर्ती के पदों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार होगा.

   (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

   (3) **महिलाओं के लिए आरक्षण.**— महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पदों में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

5. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक, ऐसे शासकीय सेवक के परिवार के एक सदस्य की अनुकम्पा नियुक्ति जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुई हो, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिए, आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या नियमों के अनुसार विनियमित होगी.

6. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

   परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

अनुसूची

सीधी भर्ती हेतु

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान/ग्रेड वेतन	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	आयु सीमा न्यूनतम/ अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा परीक्षण की कालावधि यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिये विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में पद जिनसे पदोन्नति स्थानान्तरण किया जायेगा	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
भाग-एक कृषि सेवा												
1.	दफ्तरी	3	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440/ 1400	कॉलम क्र. (2) के सरल क्र. 2 से 100% पदोन्नति द्वारा	18 से 35 वर्ष	8वीं उत्तीर्ण	-	कॉलम क्र. 7 से 9 तक	-	1. अतिरिक्त — अध्यक्ष संचालक कृषि. 2. संयुक्त संचालक— सदस्य कृषि. 3. आरक्षित श्रेणी — सदस्य का प्रतिनिधि जो. द्वितीय श्रेणी के रैंक से नीचे का न हो. 4. उप संचालक, कृषि (स्थापना का भार साधक)	
2.	भृत्य/ चैनमेन/ चौकीदार	656	—तदैव—	4750-7440/ 1300	100% सीधी भर्ती	—तदैव—	—तदैव—	2 वर्ष	—तदैव—	5 वर्ष निरंतर सेवा	—तदैव—	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
भाग-दो कृषि अभियांत्रिकी सेवा												
1.	हैमरमैन	02	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440/ 1300	100% सीधी भर्ती	18 से 35 वर्ष	1. 8वीं उत्तीर्ण 2. डीजल मैकेनिक ट्रेड में आई.टी.आई. प्रशिक्षण	2 वर्ष	कॉलम क्र. 7 से 9 तक	-	1. अतिरिक्त संचालक, कृषि. —अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक—सदस्य कृषि. 3. आरक्षित श्रेणी —सदस्य का प्रतिनिधि जो द्वितीय श्रेणी के रैंक से नीचे का न हो. 4. उप संचालक, कृषि (स्थापना का भार साधक).	
2.	क्लीनर/ हेल्पर	46	चतुर्थ श्रेणी	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	—तदैव—	-	—तदैव—	

Raipur, the 30th June 2010

File No. F 1-26/2009/14-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV service in the Chhattisgarh Agricultural Services Department, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**
   (1) These rules may be called the Chhattisgarh Sub-ordinate Agricultural Services Class-IV Service Recruitment Rules, 2010.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and Scale of Pay etc.—** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with the provisons contained in column (3) to (12) of the Schedule.

4. **Reservation.—**
   (1) **Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.—** Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994).

   (2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.

   (3) **Reservation for Women.—** Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

5. **Saving.—** Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-serviceman, compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

   Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YAKUB KHESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE

For Direct Recruitment

S. No.	Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay/ Grade pay	Method of recruitment percentage of vacant posts to be filled by direct recruitment or by promotion or by transfer and by different methods	Age limit/ Minimum/ Maximum	Prescribed Educational Qualification	Period of probation Trial if any	Whether in the case of promotion prescribed limit age and educational qualification to the direct recruitment will be apply	In case of recruitment by promotion or transfer post from which promotion transfer will be made	Selection committee for direct recruitment and promotion	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Part-I Agriculture Service												
1.	Daftri	03	Class-IV	4750-7440/ 1400	100% by Promotion from S. No. 2 of Column No. (2)	18 to 35 years	8th pass	-	Column No. 7 to 9	-	1. Additional Director Agriculture. — Chairman 2. Joint Director—Member Agriculture. 3. Representative—Member of a reserved category who are not below the rank of Class-II. 4. Deputy Director Agriculture (In-charge of Establishment)	
2.	Peon/ Chainman/ Watchman	656	--do--	4750-7440/ 1300	100% direct Recruitment	--do--	--do--	2 years	--do--	5 years continuous service	--do--	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Part-II Agriculture Engineering Service												
1.	Hemerman	02	Class-IV	4750-7440/ 1300	100% direct Recruitment	18 to 35 years	1. 8th Pass 2. I.T.I. training in diesel mechanic trade.	2 years	Column No. 7 to 9		1. Additional Director Agriculture. — Chairman 2. Joint Director Agriculture. —Member 3. Representative of a reserved category who are not below the rank of Class-II. —Member 4. Deputy Director Agriculture (In-charge of Establishment)	
2.	Cleaner/ Helper	46	--do--	--do--	--do--	--do--	--do--	--do--	--do--		--do--	

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक एफ 1-25/09/35/स्था.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा विभाग में चतुर्थ श्रेणी सेवा की भर्ती के तरीके तथा विस्तार के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**
   (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 2010" कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना.—** ये नियम अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि.—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भरती का तरीका, आयु सीमा और अन्य विषय अनुसूची के कालम (3) से (15) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे.

4. **आरक्षण.—**
   (1) **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण.—** सीधी भर्ती के पदों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार आरक्षण रहेगा.

   (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबन्धों के अनुसार होगा.

   (3) **महिलाओं के लिए आरक्षण.—** महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पदों में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

5. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों में की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी की, जिसकी मृत्यु सेवा अवधि के दौरान हुई हो, के कुटुम्ब के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या नियमों के अनुसार विनियमित होगी.

6. **निरसन और व्यावृत्ति.—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा, निरसित किये जाते हैं.

   परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

अनुसूची

सीधी भर्ती हेतु

स. क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान				भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	आयु सीमा न्यूनतम/अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा परीक्षण की कालावधि यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिये विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की जाने की दशा में पद जिनसे पदोन्नति स्थानांतरण किया जायेगा	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति	टिप्पणियां
				पद ग्रेड	वेतन बैंड	वेतनबैंड में वेतन	ग्रेड वेतन								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	प्रयोगशाला परिचारक	16	चतुर्थ वर्ग	S 3	1	5200-20200	1800	100% पदोन्नति द्वारा	18 से 35 वर्ष	विज्ञान (बायोलाजी) के साथ हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण	2 वर्ष	कालम क्रमांक 10 से 12 तक	5 वर्ष निरंतर सेवा	1. संबंधित जिला संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें. — अध्यक्ष 2. संबंधित जिला संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय का वरिष्ठ अधिकारी. — सदस्य 3. संबंधित जिला मुख्यालय के अधीक्षक/सहायक ग्रेड-1 अथवा स्थापना प्रभारी. — सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.	वैक्सीनेटर	103	चतुर्थ वर्ग	S 3	.1	5200-20200	1800	50% सीधी भर्ती द्वारा 50% पदोन्नति द्वारा	18 से 35 वर्ष	न्यूनतम 50% अंको के साथ हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण	2 वर्ष	कालम क्रमांक 10 से 12 तक	5 वर्ष निरंतर सेवा	1. संबंधित जिला — अध्यक्ष संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें. 2. संबंधित जिला — सदस्य संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय का वरिष्ठ अधिकारी. 3. संबंधित जिला — सदस्य मुख्यालय के अधीक्षक/ सहायक ग्रेड-1 अथवा स्थापना प्रभारी.	
3.	ड्रेसर (पट्टीबंधक)	208	चतुर्थ वर्ग	S 2	1 S	4750-7440	1400	100% पदोन्नति द्वारा	18 से 35 वर्ष	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कालम क्रमांक 10 से 12 तक	5 वर्ष निरंतर सेवा	1. संबंधित जिला — अध्यक्ष संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें. 2. संबंधित जिला — सदस्य संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय का वरिष्ठ अधिकारी. 3. संबंधित जिला — सदस्य मुख्यालय के अधीक्षक/ सहायक ग्रेड-1 अथवा स्थापना प्रभारी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.	दफ्तरी	04	चतुर्थ वर्ग	S 2	1 S	4750-7440	1400	100% पदोन्नति द्वारा	18 से 35 वर्ष	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कालम क्रमांक 10 से 12 तक	5 वर्ष निरंतर सेवा	1. संबंधित जिला — अध्यक्ष संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें. 2. संबंधित जिला — सदस्य संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय का वरिष्ठ अधिकारी. 3. संबंधित जिला — सदस्य मुख्यालय के अधीक्षक/ सहायक ग्रेड-1 अथवा स्थापना प्रभारी.	
5.	कामदार	01	चतुर्थ वर्ग	S 2	1 S	4750-7440	1400	100% पदोन्नति द्वारा	18 से 35 वर्ष	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कालम क्रमांक 10 से 12 तक	5 वर्ष निरंतर सेवा	1. संबंधित जिला — अध्यक्ष संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें. 2. संबंधित जिला — सदस्य संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय का वरिष्ठ अधिकारी. 3. संबंधित जिला — सदस्य मुख्यालय के अधीक्षक/ सहायक ग्रेड-1 अथवा स्थापना प्रभारी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.	फार्म जमादार	01	चतुर्थ वर्ग	S 2	1 S	4750-7440	1400	100% पदोन्नति द्वारा	18 से 35 वर्ष	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कालम क्रमांक 10 से 12 तक	5 वर्ष निरंतर सेवा	1. संबंधित जिला — अध्यक्ष संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें. 2. संबंधित जिला — सदस्य संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय का वरिष्ठ अधिकारी. 3. संबंधित जिला — सदस्य मुख्यालय के अधीक्षक/ सहायक ग्रेड-1 अथवा स्थापना प्रभारी.	
7.	भृत्य	88	चतुर्थ वर्ग	S 1	1 S	4750-7440	1300	100% सीधी भरती द्वारा	18 से 35 वर्ष	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कालम क्रमांक 10 से 12 तक	5 वर्ष निरंतर सेवा	1. संबंधित जिला — अध्यक्ष संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें. 2. संबंधित जिला — सदस्य संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय का वरिष्ठ अधिकारी. 3. संबंधित जिला — सदस्य मुख्यालय के अधीक्षक/ सहायक ग्रेड-1 अथवा स्थापना प्रभारी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8.	परिचारक	1481	चतुर्थ वर्ग	S 1	1 S	4750-7440	1300	100% सीधी भरती द्वारा	18 से 35 वर्ष	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कालम क्रमांक 10 से 12 तक	5 वर्ष निरंतर सेवा	1. संबंधित जिला संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें. — अध्यक्ष 2. संबंधित जिला संयुक्त/उप संचालक पशु.चिकित्सा सेवायें द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय का वरिष्ठ अधिकारी. — सदस्य 3. संबंधित जिला मुख्यालय के अधीक्षक/सहायक ग्रेड-1 अथवा स्थापना प्रभारी. — सदस्य	

Raipur, the 28th June 2010

No. F 1-25/09/35/Esstt.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV service in the Chhattisgarh Veterinary Services Department, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called Chhattisgarh Veterinary, Service Class-IV Service Recruitment Rules, 2010.

(2) These rule shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule.

3. **Classification and Scale of Pay, etc.—** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with the provisons contained in column (3) to (15) of the Schedule.

4. **Reservation.—**

(1) **Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.—** Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994).

(2) Reservation in promotion shall be made for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes in accordance with the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) **Reservation for Women.—** Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women in Public Service and Posts) Rules, 1997.

5. **Saving.—** Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, for Ex-serviceman, compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees who dies during service period, handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the rules made or orders issued by the State Government from time to time in the regard.

6. **Repeal and Saving.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YAKUB KHESS, Deputy Secretary.

SCHEDULE

For Direct Recruitment

S. No.	Name of the Post	Number of total Post	Classification	Scale of Pay				Method of recruitment percentage of vacant posts to be filled by direct recruitment or by promotion or by different methods	Age limit Minimum/ Maximum	Prescribed Educational Qualification	Period of probation trail if any	Whether in the case of promotion prescribed limit age and Educational qualification to the direct recruitment will be apply	In case of recruitment by promotion or transfer post from which promotion transfer will be made	Selection Committee for direct recruitment and promotion	Remarks
				Post Grade	Pay Band	Pay Band	Grade Pay								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Lab Attendant	16	Class-IV	S 3	1	5200-20200	1800	100% by Promotion	18 to 35 years	Must have passed Higher Secondary (10+2) Examination with Science (Biology)	2 years	Column No. 10 to 12	5 years continuous Service	1. Joint/Dy. Dirctor of Vety. Services of Concerning Distt. — Chairman 2. Senior most officer of Distt. Head Quarter Nomination by the Concerning Distt. Joint/Dy. Director of Vety. Services. — Member 3. Superintendent/Assistant Gr.-1 or I/c Esstt. section of Concerning Distt. — Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.	Vaccinator	103	Class-IV	S 3	1	5200-20200	1800	50% by Direct Recruitment 50% by Promotion	18 to 35 years	Must have passed Higher Secondary (10+2) Examination with minimum 50% marks	2 years	Column No. 10 to 12	5 years continuous Service	1. Joint/Dy. — Chairman Director of Vety. Services of Concerning Distt. 2. Senior most — Member officer of Distt. Head Quarter Nomination by the Concerning Distt. Joint/Dy. Director of Vety. Services. 3. Superintendent/Assistant — Member Gr.-1 or I/c Estt section of Concerning Distt.	
3.	Dressor	208	Class-IV	S 2	1 S	4750-7440	1400	100% by Promotion	18 to 35 years	5 th pass	2 years	Column No. 10 to 12	5 years continuous Service	1. Joint/Dy. — Chairman Director of Vety. Services of Concerning Distt. 2. Senior most — Member officer of Distt. Head Quarter Nomination by the Concerning Distt. Joint/Dy. Director of Vety. Services. 3. Superintendent/Assistant — Member Gr.-1 or I/c Estt. section of Concerning Distt.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.	Daftari	04	Class-IV	S 2	1 S	4750-7440	1400	100% by Promotion	18 to 35 years	5 th pass	2 years	Column No. 10 to 12	5 years continuous Service	1. Joint/Dy. — Chairman Dirctor of Vety. Services of Concerning Distt. 2. Senior most— Member officer of Distt. Head Quarter Nomination by the Concerning Distt. Joint/Dy. Director of Vety. Services. 3. Superinten —Member dent/Assistant Gr.-1 or I/c Esstt. section of Concerning Distt.	
5.	Kamdar	01	Class-IV	S 2	1 S	4750-7440	1400	100% by Promotion	18 to 35 years	5 th pass	2 years	Column No. 10 to 12	5 years continuous Service	1. Joint/Dy. — Chairman Dirctor of Vety. Services of Concerning Distt. 2. Senior most— Member officer of Distt. Head Quarter Nomination by the Concerning Distt. Joint/Dy. Director of Vety. Services. 3. Superinten —Member dent/Assistant Gr.-1 or I/c Esstt. section of Concerning Distt.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6.	Farm Jamadar	01	Class-IV	S 2	1 S	4750-7440	1400	100% by Promotion	18 to 35 years	5 th pass	2 years	Column No. 10 to 12	5 years continuous Service	1. Joint/Dy. Dirctor of Vety. Services of Concerning Distt. — Chairman 2. Senior most officer of Distt. Head Quarter Nomination by the Concerning Distt. Joint/Dy. Director of Vety. Services. — Member 3. Superintendent/Assistant Gr.-1 or I/c Esstt. section of Concerning Distt. —Member	
7.	Peon	88	Class-IV	S 1	1 S	4750-7440	1300	100% by Direct Recruitment	18 to 35 years	5 th pass	2 years	Column No. 10 to 12	5 years continuous Service	1. Joint/Dy. Dirctor of Vety. Services of Concerning Distt. — Chairman 2. Senior most officer of Distt. Head Quarter Nomination by the Concerning Distt. Joint/Dy. Director of Vety. Services. — Member 3. Superintendent/Assistant Gr.-1 or I/c Esstt. section of Concerning Distt. —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
8.	Attendant	1481	Class-IV	S 1	1 S	4750-7440	1300	100% by Direct Recruitment	18 to 35 years	5 th pass	2 years	Column No. 10 to 12	5 years continuous Service	1. Joint/Dy. Director of Vety. Services of Concerning Distt. — Chairman 2. Senior most officer of Distt. Head Quarter Nomination by the Concerning Distt. Joint/Dy. Director of Vety. Services. — Member 3. Superintendent/Assistant Gr.-1 or I/c Estt. section of Concerning Distt. — Member	

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 10-14/2010/16.—व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (क्रमांक 16 सन् 1926) की धारा 3 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए श्रीमती सविता मिश्रा, प्रभारी उपश्रमायुक्त को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कार्मिक संघों का जिनका उद्देश्य इस राज्य से सीमित है, के लिये छत्तीसगढ़ राज्य का "रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन" नियुक्त करता है.

Raipur, the 21st July 2010

No. F 10-14/2010/16.—In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 3 of the Trade Union Act, 1926 (No. 16 of 1926) in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government, in supersession of all notification, hereby appoints Smt. Savita Mishra, Incharge Deputy Labour Commissioner to be the "Registrar of the Trade Unions" for the State of Chhattisgarh in relation to Trade Unions whose objects are confined to the state.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 10-16/2010/16.—चूंकि राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में प्रदेश में गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के भाग-क में उल्लेखित 33 अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण का प्रस्ताव इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 863/763/2010/16 दिनांक 21-04-2010 द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की जिनके की उससे प्रभावित होने की संभावना है जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था.

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त है, कि धारा 3 तथा 5 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् न्यूनतम अधिनियम के तहत 33 अधिसूचित नियोजनों के मजदूरी पुनरीक्षण हेतु दिनांक 01-10-2009 से 21-03-2010 तक प्रभावशील न्यूनतम वेतन को आधार मानते हुए मूल वेतन निर्धारित करते हुए न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित करता है तथा यह निर्देश देता है कि इस प्रकार पुनरीक्षित की गई न्यूनतम वेतन की दरें अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगी. अनुसूचित नियोजनों में उल्लेखित श्रमिकों/कर्मचारियों के वर्गों के लिए अनुसूची "अ", "ब", "स" एवं "क" के लिए देय होगी. अनुसूची "क" हेतु एक दिवस के वेतन की गणना हेतु तीस से भाग दिया जावेगा एवं अनुसूची "अ", "ब", "स" हेतु एक दिवस वेतन की गणना हेतु छब्बीस से भाग दिया जावेगा.

अनुसूची

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील भत्ता		कुल वेतन	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
अकुशल	3432.00	132.00	338.00	13.00	3770.00	145.00
अर्द्धकुशल	3614.00	139.00	338.00	13.00	3952.00	152.00
कुशल	3874.00	149.00	338.00	13.00	4212.00	162.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2010

क्रमांक एफ 7-22/2010/12.—जिला रायपुर, तहसील छुरा, ग्राम परसूली के विभिन्न क्षेत्रों में भौमिकी संरचना के आधार पर खनिज मेंगनीज धारित चट्टानों की संभावना है परन्तु मेगनीज के वास्तविक उपलब्धता एवं भंडारों का आंकलन नहीं किया गया है. क्षेत्र में मेगनीज धारित चट्टानों की संभावना तथा क्षेत्र की संवेदनशील "रिच बायो डायवर्सिटी" को दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तौर पर विस्तृत सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्य शासकीय एजेंसी के द्वारा संपन्न किया जाकर क्षेत्रों में मेगनीज के Proved Category के भंडार प्रमाणित किया जाना आवश्यक है.

2. अतएव राज्य शासन खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 (1) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तालिका के कालम 5 एवं 6 में दर्शित अक्षांश एवं देशांश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से इस अधिसूचना जारी होने की दिनांक के पूर्व से अनुशंसित तथा स्वीकृत पीएल/एमएल क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्र को संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, रायपुर के द्वारा अथवा उसके माध्यम से खनिज मेगनीज एवं अन्य खनिजों के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्य किये जाने हेतु आरक्षित करता है.

क्र.	जिला	रेंज/तहसील	टोपोशीट नं.	देशांश	अक्षांश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रायपुर	छुरा, परसूली	65 L/6 & 7	A 82°20' 00"	20°32' 00"
				B 82°21' 21.5"	20°32' 00"
				C 82°23' 1"	20°27' 33"
				D 82°23' 1"	20°27' 00"
				E 82°20' 00"	20°27' 00"
				Point B to C along the State boundary	

3. उक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 05 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी. अधिसूचना प्रकाशित होने पर खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74 (2) के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचना प्रभावशील रहने पर खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं की जा सकेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 जून 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./19/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	टोर प. ह. नं. 94/15	394/1	0.371	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	तर्रा पथरी मार्ग पर कोलहान नाला पर पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			397/7	0.061		
			397/8	0.028		
			397/9	0.053		
			397/10	0.032		
			397/4	0.093		
			394/2	0.108		
		योग	07	0.746		

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./20/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	तर्रा प्र. ह. नं. 11	1/1, 1/2	0.048	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	तर्रा पथरी मार्ग पर कोलहान नाला पर पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			3	0.212		
			4	0.013		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			6	0.158		
			7/1, 7/2, 7/3	0.112		
			9	0.030		
			20/4	0.061		
			23	0.108		
			20/1	0.112		
			20/2	0.134		
			8	0.060		
		योग	11	1.048		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 12 जुलाई 2010

क्रमांक/5952/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गुंगेरी नवागांव प. ह. नं. 14	2.155	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज नहर निर्माण हेतु. (अनुपूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर), छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 25 जून 2010

क्रमांक 6040/ भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	महोरा	0.07	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अंबिकापुर.	पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रितु सेन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-करनपाली, प. ह. नं. 47
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.663 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
297/1	0.008
298/1	0.006

(1)	(2)
299/1	0.006
317/1	0.010
318/1	0.010
320/1	0.010
297/4	0.001
299/4	0.001
317/4	0.001
329/4	0.001
326	0.080
305/3	0.002
315/3	0.001
316/3	0.001
249/1	0.040
313	0.072
249/2	0.056
248/2	0.024
248/1 क	0.032
248/1 ख	0.040
247	0.056
66/1	0.008
66/2	0.008
67	0.032
68/3	0.016
68/1 क	0.020
305/4	0.024
315/4	0.010
316/4	0.010
323	0.008
321	0.004
324/2	0.020
333/3	0.045
योग 33	0.663

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- करनपाली व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जुलाई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-बरमकेला
- (ग) नगर/ग्राम-घोघरा, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.982 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
21/1	0.053
21/5	0.129
59/1	0.036
21/2	0.202
11	0.101
21/3	0.065
21/4	0.200
22	0.140
21/6	0.195
59/3	0.036
65/2	0.040
65/8	0.036
21/7	0.065
59/4	0.036
65/4	0.040
21/8	0.199
65/6	0.041
65/7	0.041
66/1	0.041
18/1	0.101
5/2	0.049
31	0.405
5/4	0.101
28/2	0.024
69/5	0.081

(1)	(2)
56/2	0.162
58/1	0.057
5/3	0.101
27/3	0.077
58/2	0.028
69/1 क	0.044
58/3	0.028
69/2	0.044
58/4	0.028
69/1 ख	0.044
58/5	0.028
69/4	0.044
27/4	0.077
58/6	0.057
66/2	0.061
59/2	0.069
60/1 क	0.121
61/1	0.134
65/1	0.154
65/3	0.041
69/3	0.081
91/1 क	0.045
46	3.982

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा जलाशय योजनान्तर्गत डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2010

विषय :— त्रिस्तरीय पचांयतों के लिए उप चुनाव वर्ष 2010 (पूर्वार्द्ध) हेतु समय अनुसूची.

क्रमांक एफ 37-03/तीन (एक)-1/2010/2188.—गत आम निर्वाचन में कतिपय कारणों से त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों की पूर्ति नहीं की जा सकी, जिसके निर्वाचन के लिये मतदाता सूची पुनरीक्षण कर दिनांक 10-06-2010 को अन्तिम प्रकाशन किया गया है. उक्त क्षेत्रों में उप निर्वाचन किया जाना है.

2. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों में 31 मार्च की स्थिति में रिक्त स्थानों (सीटों) की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन में निर्वाचन संपन्न कराने के लिए आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम-1995 के नियम-28 के अंतर्गत निर्वाचन कार्यक्रम (समय-अनुसूची) का निर्धारण कर दिया गया है. यह कार्यक्रम परिशिष्ट-एक में संलग्न है. निर्देशित किया जाता है कि आप इस कार्यक्रम के अनुसार यथा स्थिति प्ररूप-2 या 3 में निर्वाचन की सूचना जारी करें.

3. उक्त निर्वाचन/उप निर्वाचन 01 जनवरी 2010 को संदर्भ तारीख के आधार पर आयोग के उक्त संदर्भित पत्र में दिए गये निर्देशों तथा कार्यक्रम के अनुसार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर कराये जावेंगे. निर्वाचन की सूचना जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी स्थान को भरने के लिए न्यायालयीन आदेश के तहत कोई रोक तो नहीं लगाई गई है.

4. इन निर्वाचन/उप निर्वाचन के संबंध में जारी कार्यक्रम (संलग्न परिशिष्ट-एक) की तिथिवार कार्रवाईयों की आवश्यक जानकारी पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्ररूपों में यथा समय प्रेषित की जाये, विशेषकर नाम-निर्देशन के संबंध में आयोग के पत्र क्रमांक एफ-60/रानिआ/प.नि./2004/2901/दिनांक 21 दिसंबर 2004 (निर्देशों के संकलन के नवीन संस्करण में पृष्ठ 126-137 पर उद्धृत) के अनुसार दैनिक प्रतिवेदन भेजा जाये.

निर्विरोध निर्वाचन के मामले में प्ररूप-24 में निर्वाचित होने की घोषणा की प्रति तथा सविरोध निर्वाचन के मामले में प्ररूप-20, 21, 22, 23 एवं 26क तथा 26ख, में (जैसी भी स्थिति हो) विवरणी की प्रति समयावधि में आयोग को अवश्य भेजी जाये.

5. निर्वाचन की सूचना प्रारूप 2 या 3 के साथ :—
   1. नियम 29 के अंतर्गत प्रारूप 3 क या 3 ख में स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तथा
   2. नियम 23 की अपेक्षा के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाये.

6. निर्वाचन के संचालन की सभी कार्यवाहियां छ. ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार की जाये.

7. निम्नलिखित दो प्रावधानों का भी ध्यान रखा जाये :—
   1. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ छ. ग. पंचायत निर्वाचन नियम 31 क में विहित प्रारूप में (पंच को छोड़कर) यथास्थिति शपथ पत्र अथवा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है. जिसमें अभ्यर्थी की अपराधिक पृष्ठभूमि, सम्पत्ति एवं दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी होगी.
   2. उप निर्वाचन में भरे जाने वाले पदों का निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे.

8. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी.

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति फैक्स द्वारा भेजी जाये.

हस्ता./-

डी. डी. सिंह,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग.

परिशिष्ट-1

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2010 (पूर्वार्द्ध) समय-अनुसूची (कार्यक्रम)

क्र.	कार्यवाही	संबंधित नियम	निर्धारित तारीख	दिन	समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन एवं नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना.	28	29-07-2010	गुरुवार	प्रात: 10.30 से 3.00 बजे अपरान्ह तक
2.	स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन.	29 (क)	29-07-2010	गुरुवार	प्रात: 10.30 बजे
3.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	29-07-2010	गुरुवार	प्रात: 10.30 बजे
4.	नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28 (क)	05-08-2010	गुरुवार	अपरांह 3.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि	28 (ख)	06-08-2010	शुक्रवार	प्रात: 10.30 बजे से
6.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28 (ग)	09-08-2010	सोमवार	अपरांह 3.00 बजे तक
7.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	09-08-2010	सोमवार	अभ्यर्थिता वापसी के तुरन्त बाद
8.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	40	09-08-2010	सोमवार	प्रतीक आवंटन के बाद
9.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28 (घ)	22-08-2010	रविवार	प्रात: 7.00 बजे से अपरांह 3.00 बजे तक
10.	मतगणना	28 (ङ)			
	(1) मतदान केन्द्रों पर		22-08-2010	रविवार	मतदान के तुरन्त बाद
	(2) यदि आवश्यक हो तो तहसील/खण्ड मुख्यालय पर.		23-08-2010	सोमवार	प्रात: 10.30 बजे से
11.	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा				
	(1) पंच, सरपंच/जनपद सदस्य के मामले में	81	25-08-2010	बुधवार	खंड मुख्यालय में प्रात: 9.00 बजे से

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) कबीरधाम

कबीरधाम, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्रमांक/443/सहा.अधो./स्था.निर्वा./2010.—मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत पंडरिया के पत्र क्र. 228 न. पं./2010-11, पंडरिया दिनांक 7-7-2010 एवं समसंख्या क्र. 235 दिनांक 13-7-2010 के द्वारा श्री अतुल कुमार तिवारी आत्मज स्वर्गीय श्री सुरेश तिवारी पार्षद वार्ड क्र. 4 की नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर होने के फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 30-06-2010 को दिया गया इस्तीफा नगरपालिका अधिनियम की धारा 40 के खंड (1) के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है.

आर. संगीता,
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी.

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्रमांक 4579/रा.शा./वि.प्रा./2010.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा नई योजना टाटीबंध ट्रांसपोर्ट नगर (ग्राम टाटीबंध प.ह.नं. 34) में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

दक्षिण में :— खसरा नं. 390 का भाग, 379, 380, 376, 378, 345, 344, 341, 340, 339, 338.

पश्चिम में :— खसरा नं. 338, 332, 320, 321, 322, 303, 302.

उत्तर में :— खसरा नं. 303, 302, 324, 325 का भाग, 326, 335, 336, 338, 355, 338, 348, 349, 345, 369, 368.

पूर्व में :— खसरा नं. 364, 365, 366, 414, 410, 412, 413, 401, 400, 393, 390.

No. 4579/रा.शा./वि.प्रा./2010.—It is hereby declared and published for the information of the general public under sub section (2) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that the Raipur Development Authority Town and Country Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for New Yojna Tatibandh Transport Nagar P.H.N. 34.

South :— Kha. No. Part of 390, 379, 380, 376, 378, 345, 344, 341, 340, 339, 338.

West :— Kha. No. 338, 332, 320, 321, 322, 303, 302.

North :— Kha. No. 303, 302, 324, Part of 325, 326, 335, 336, 338, 355, 338, 348, 349, 345, 369, 368.

East :— Kha. No. 364, 365, 366, 414, 410, 412, 413, 401, 400, 393, 390.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्रमांक 4579/रा.शा./वि.प्रा./2010.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन आवासीय विकास योजना रायपुरा क्षेत्र के लिए नगर विकास स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया है तथा उसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है :—

1. रायपुर विकास प्राधिकरण, बजरंग होटल के पास, शास्त्री चौक, रायपुर
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उस स्कीम से प्रभावित किसी व्यक्ति से इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिश: सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि ऐसी वांछा करे नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा.

No. 4579/रा.शा./वि.प्रा./2010.—Notice is hereby given that a Draft of Town Development Scheme has been prepared for the area "Avasiya Vikas Yojana, Raipura" under sub-section (3) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection during office hours in the office of :—

1. Raipur Development Authority, Near Bajarang Hotel, Shastri Chowk, Raipur
2. Joint Director, Town and Country Planning, Raipur.

Any objection or suggestion which may be received in writing from any person affected thereby within 30 days of the publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette" will be considered by the Town and Country Development Authority after having been given him as reporting of being heard in person if he so desires.

एस. एस. बजाज,
अध्यक्ष.

कार्यालय, कलेक्टर बस्तर जिला, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/11/2009.—उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक 55/अधोविक/2009/10048 दिनांक 30-7-2009 एवं पत्र क्रमांक 55/अधोविक/2009/10044 दिनांक 30-7-2009 एवं छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-11-6/2009/11/6 दिनांक 28-7-2009 में निहित निर्देशानुसार औद्योगिक प्रयोजन (एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट की स्थापना) हेतु ग्राम कस्तुरी की निजी भूमि रकबा 71.29 हेक्टेयर, ग्राम माड़पाल की निजी भूमि रकबा 63.79 हे., ग्राम नगरनार की निजी भूमि रकबा 26.35 हेक्टेयर, ग्राम आमागुड़ा की निजी भूमि रकबा 16.06 हेक्टेयर, ग्राम मंगनपुर की निजी भूमि रकबा 96.07 हेक्टेयर, ग्राम चोकावाड़ा की निजी भूमि रकबा 16.53 हेक्टेयर, ग्राम उपनपाल की निजी भूमि रकबा 8.79 हेक्टेयर एवं ग्राम बीजापुट की निजी भूमि रकबा 19.86 हेक्टेयर (कुल रकबा 318.74 हेक्टेयर) का अधिग्रहण महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जगदलपुर के पक्ष में किए जाने हेतु कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक क्रमशः क/भू-अर्जन/1/2008-09, क/भू-अर्जन/2/2008-09, क/भू-अर्जन/3/2008-09, क/भू-अर्जन/4/2008-09, क/भू-अर्जन/5/2008-09, क/भू-अर्जन/6/2008-09, क/भू-अर्जन/7/2008-09 एवं अधिसूचना क्रमांक क/भू-अर्जन/8/अ-82/2008-09 दि. 4 दिसम्बर 2009 में भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) के अन्तर्गत महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जगदलपुर जिला बस्तर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है.

2. इसके पूर्व वर्ष 2001 में एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट हेतु अधिगृहित की जाने वाली भूमि के लिए परियोजना प्रबंधक, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट के पक्ष में अर्जन करने तथा भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है.

3. परियोजना प्रबंधक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट जगदलपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06-01-2010 एवं निदेशक, एन.एम.डी.सी., कैसल हिल्स, मासाब टैंक, हैदराबाद का पत्र क्रमांक जी.एम. (सी.एण्ड एस.) स्टील/एफ-2/Avol-II दिनांक 5-3-2010 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर से प्राप्त निर्देश क्रमांक एफ-7-55/सात-3/2010 दिनांक 3 जून 2010 तथा छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ-11-6/2009/11/6, दिनांक 5-7-2010 तथा भू-अर्जन अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत पूर्व में जारी भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) की अधिसूचना में संशोधन करते हुए उपरोक्त वर्णित ग्रामों की निजी भूमि महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जगदलपुर के स्थान पर परियोजना प्रबंधक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट जगदलपुर के पक्ष में अर्जन करने तथा भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 (1) के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट, जगदलपुर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

एम. एस. परस्ते,
कलेक्टर.